प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष- 2022 प्र0इ0रि0 सं. .....477/22.....दिनांक.....16/12/2022.....

2. (I) अधिनियमः-धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018

   (II) अधिनियम ..... धारायें .....

   (III) अधिनियम ..... धारायें .....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ..... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या .....312..... समय .....7:45 P.M.....

   (ब) अपराध घटने का दिन-गुरूवार, दिनांक 15.12.2022 समय 01.50 पीएम

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 14.12.2022 समय 05.30 पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :-पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर पूर्व दिशा करीब 60 किमी

   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री राजेन्द्र कुमार बुनकर

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री बंशीधर बुनकर,

   (स) जन्म तिथी- उम्र-26 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता- भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह .....

   (र) व्यवसाय -पढ़ाई।

   (ल) पता- निवासी मु0पो0 धोबलाई, थाना गोविन्दगढ़, तह. चौमू, जिला जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

श्री लोकेश कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री पूरणमल सोनी, उम्र 37 वर्ष निवासी प्लाट नं0 10, बोद्धविहार कॉलोनी, कचौलिया रोड़, चौमू, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-6,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 14-12-2022 को परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार बुनकर पुत्र श्री बंशीधर बुनकर निवासी मु0पो0 धोबलाई, थाना गोविन्दगढ़, तह. चौमू, जिला जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि''सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो ग्रामीण जयपुर विषय-कानूनी कार्यवाही करने बाबत्। महोदय् निवेदन है की मै राजेन्द्र कुमार बुनकर निवासी धोबलाई गोविन्दगढ़ का रहने वाला हूं। मेरी माता श्रीमती माली देवी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन वर्ष 2019-20 मे दिया जो की स्वीकृत वर्ष - 2021-2022 मे हुआ था। जिसकी स्वीकृत कुल राशि - 1,48,250 रूपये हुए थे जिसमे 120000 रूपये तो तीन किश्तो के माध्यम से आते है तथा

28250 नरेगा मजदूरी सीधे खाते मे आते है। मेरी प्रथम किश्त के रूप मे 15,000/- रूपये आऐ थे जिसमे कमीशन के रूप मे मुझसे कुल 10000/- रूपये रिश्वत के रूप मे लोके कुमार सोनी (UDC) ने मांगे जिस पर मैने काम के कारण 3000/- रूपये दे दिए थे। लोकेश सोनी ने कहां की अब अग्रीम किश्त मे 45000 डाल दुंगा जिसके खाते डालते ही तुम मुझे बकाया 7000/- रू. दे देना। अभी माताजी के खाते मे 45000/- रू. आ गए है। अत: अब लोकेश कुमार सोनी मुझसे बकाया रिश्वत राशि 7000/- रू देने का लगातार दबाव बना रहे है। जो मे उन्हे रिश्वत नही देना चाहता हूं। एवं रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। लोकेश कुमार सोनी पंचायत समिति गोविन्दगढ़ मे (UDC) है। एवं उनसे कोई मेरी रंजिश वगैरहा कुछ भी नही है उनकी मेरे पास फोन मे कॉल रिकार्डिग भी है। जो मे दू दूंगा। नाम-राजेन्द्र कुमार बुनकर पता-मु.पो. धोबलाई थाना - गोविन्दगढ़, तह.-चौमू जिला जयपुर (राज) मोबाईल - 9928999846 दिनांक - 14/12/2022''। परिवादी ने पूछताछ पर बताया कि श्री लोकेश कुमार चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा रिश्वत मांगने के पश्चात समय नहीं देता है अगर मै रिश्वत मांग सत्यापन के लिए उसके पास जाउंगा तथा रिश्वती राशि देने का समय चाहूंगा तो वह मुझ पर शक करेगा और समय नहीं देगा।

दिनांक 15-12-2022 को मन् पुलिस निरीक्षक नीरज भारद्वाज मय ब्यूरो स्टॉफ मय स्वतंत्र गवाह मय आवश्यक सरकारी ट्रेप बॉक्स, यूपीएस, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि के सरकारी वाहन व मोटर साईकिल व प्राईवेट वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर राधा स्वामी सत्संग बाग, चौमू पर पहूंचे जहां पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी द्वारा दिए गए रिश्वत मे 6,000/- रूपये पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 43 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया गया जिसकी फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत व सुपुर्द डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गई एवं चौमू कस्बे से रवाना होकर गोविन्दगढ़ पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय 01.50 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार बुनकर पुत्र श्री बंशीधर बुनकर निवासी मु0पो0 धोबलाई, थाना गोविन्दगढ़, तह. चौमू, जिला जयपुर ने पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के कार्यालय के बाहर रोड़ पर अपनी मोटर साईकिल के पास अपने सिर पर लगा टोपा उतारकर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं आस पास खड़े ब्यूरो स्टॉफ को साथ लेते हुए परिवादी के पास पहूंचा। परिवादी को पूर्व मे सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने अपने पास खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही लोकेश कुमार बाबूजी है जिनको मैने मेरी माताजी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त देने की एवज मे अभी-अभी 6000/- रूपये रिश्वत के किए है जो इन्होने प्राप्त कर अपनी पेंट की बांयी जेब मे रख लिए है। इस पर परिवादी के बतायेनुसार उसके पास खड़े व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लोकेश कुमार पुत्र स्व. श्री पूरणमल, उम्र 37 वर्ष निवासी प्लाट नं0 10, बोद्धविहार कॉलोनी, कचौलिया रोड़, चौमू, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर होना बताया तथा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार बुनकर से ली गई 6000/- रूपये रिश्वती राशि बाबत पूछा उसने उधार लेना बताया। मौके पर आम रास्ता होने की वजह से आस पास काफी लोग इक्कठा हो गए है जिस पर पास मे स्थित पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में लिखापढ़ी करने का निर्णय लेते हुए श्री लोकेश कुमार को हमराह लेते हुए पंचायत समिति गोविन्दगढ़ पर पहूंचकर एक कमरे मे लिखापढ़ी आरंभ की गई।

तत्पश्चात् परिवादी से पूछने पर उसने बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर पंचायत समिति गोविन्दगढ़ मे मोटर साईकिल खड़ी कर पंचायत समिति के बाहर जाकर मेरे मोबाईल नम्बर 9928999846 से श्री लोकेश कुमार बाबूजी के मोबाईल नम्बर 8290350930 पर कॉल किया और उसको पंचायत समिति के बाहर बुलाया इस पर वह पंचायत समिति के बाहर चाय की दुकान पर ओर मुझे कहा कि आपके घर चलना पड़ेगा इस पर मै श्री लोकेश कुमार को अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर मेरे घर ले जा रहा था रास्ते मे उसके मोबाईल पर फोन आया ओर वह वापस पुराना बस स्टेण्ड गोविन्दगढ़ मे मुझे ले जाकर चाय की दुकान पर बैठा दिया। श्री लोकेश कुमार रिश्वती राशि लेने के लिए सावधानी बरतने के

कारण मुझे इधर उधर घुमा रहा था बस स्टेण्ड से मुझे वापस लेकर पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के सामने आ गया और मुझसे पंचायत समिति के सामने अपनी मांग के अनुसार मेरे से रिश्वत के 6,000/- रूपये अपने हाथ मे लेकर अपनी पेंट की बांयी जेब मे रख लिए थे इसके बाद मेने आपको निर्धारित ईशारा कर दिया था।

तत्पश्चात् श्री लोकेश कुमार कनिष्ठ सहायक से अभी-अभी कुछ समय पहले परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 6,000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री लोकेश कुमार ने बताया कि मैने राजेन्द्र कुमार बुनकर से कोई रिश्वत के रूपये नही लिए। आज जो रूपये 6000/- रूपये लिए वह उधार लिए है दस रोज से मै इनसे 10,000/- रूपये उधार मांग रहा था क्योंकि मुझे घरेलु काम के लिए रूपयो की जरूरत थी। इस पर पास मे खड़े परिवादी ने श्री लोकेश कुमार की बात का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूंठ बोल रहे है मेरी माताजी के नाम से मैने वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत फार्म भरा था जिसकी स्वीकृति वर्ष 2021-2022 में हुई थी जिसकी प्रथम किश्त 15,000/- रूपये खाते मे आए थे तब श्री लोकेश कुमार ने मुझसे कमीशन के रूप में 10,000/- मांगे थे तथा 3000/- रूपये मुझ पर दबाव बनाकर ले लिए तथा 7000/- अग्रिम किस्त पर देने हेतु कहा था। इनकी मांग के अनुसार ही आज मैने इनको रिश्वत के 6,000/- रूपये दिए थे जो इन्होने अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की साईड की बांयी जेब मे रख लिए थे।

तत्पश्चात् पंचायत समिति मे रखी प्लास्टिक की बोतल मे पंचायत समिति से साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो कांच के गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सेाडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक कांच के गिलास के घोल मे श्री लोकेश कुमार कनिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरनी ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री लोकेश कुमार कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे के बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी से रिश्वती राशि 6,000/- रूपये श्री लोकेश कुमार कनिष्ठ सहायक ने अपने हाथ मे लेकर अपनी बदन पर पहनी हुई पेंट की साईड की बांयी जेब मे रखना बताया है। इस पर स्वतंत्र गवाह सतीशचन्द्र मीना से श्री लोकेश कुमार कनिष्ठ सहायक के बदन पर पहनी हुई पेंट की साईड की बांयी जेब की तलाशी लिवाई गई तो पेंट की बांयी जेब मे एक पांच पांच सौ रूपये के नोटो की छोटी गड्डी मिली है जिसको स्वतंत्र गवाह श्री सतीशचन्द्र मीना से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 12 नोट कुल 6,000-/ रूपये मिले है जिनका मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त 6,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

दर्ज रहे कि आरोपी श्री लोकेश कुमार कनिष्ठ सहायक ने परिवादी से रिश्वती राशि 6,000/- रूपये प्राप्त कर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की बांयी जेब मे रखे है जिसके

कारण पेंट की बांयी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक है ऐसी स्थिति में एक लोवर मंगवाया जाकर श्री लोकेश कुमार के बदन पर पहनी हुई पेंट उतरवाई जाकर लोवर पहनने को दिया गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमे पंचायत समिति गोविन्दगढ़ मे रखी प्लास्टिक की बोतल मे भरे साफ पानी से उक्त गिलास को पुनः साबुन पानी से धुलवाकर उसमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् श्री लोकेश कुमार कनिष्ठ सहायक के बदन से उतरवाई गई पेंट की बांयी जेब को उलटवाकर बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेंट की बांयी जेब को सुखवाकर पेंट की जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर कपड़े की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-पी अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज के बारे मे श्री लोकेश कुमार कनिष्ठ सहायक से पूछा गया तो उसने अपने कार्यालय कक्ष की टेबिल के नीचे रखी होना बताया। जिस पर उक्त पत्रावली लेने हेतु श्री लोकेश कुमार कनिष्ठ सहायक को हमराह लेकर उसके कार्यालय कक्ष मे ले जाकर परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली प्राप्त कर उसका अवलोकन किया जाकर कार्यालय में मौजूद अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर पत्रावली सुपुर्द कर उसकी प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करवाने पर जरिये फर्द जप्ती जप्त की गई।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरो को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता सुना गया तो उसमे रिश्वत मांग व लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिनकी आयन्दा नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई।

अब तक की कार्यवाही से श्री लोकेश कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री पूरणमल सोनी, उम्र 37 वर्ष निवासी प्लाट नं0 10, बोद्धविहार कॉलोनी, कचौलिया रोड़, चौमू, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर ने परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार बुनकर पुत्र श्री बंशीधर बुनकर निवासी मु0पो0 धोबलाई, थाना गोविन्दगढ़, तह. चौमू, जिला जयपुर के द्वारा माताजी के नाम से मैने वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत फार्म भरा था जिसकी स्वीकृति वर्ष 2021-2022 में हुई थी जिसकी प्रथम किश्त 15,000/- रूपये खाते मे आए थे तब श्री लोकेश कुमार ने मुझसे कमीशन के रूप में 10,000/- मांगे थे तथा 3000/- रूपये मुझ पर दबाव बनाकर ले लिए तथा 7000/- अग्रिम किस्त पर देने हेतु कहा था। श्री लोकेश कुमार की मांग के अनुसार आज दिनांक 15-12-2022 को परिवादी से रिश्वत मांग एवं लेन देन के समय 6,000/- रूपये अपने हाथो मे प्राप्त कर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की साईड की बांयी जेब में रखना व रिश्वती राशि 6,000/- रूपये पेंट की बायी जेब से बरामद होना पाया गया है जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाया जाने पर आरोपी श्री लोकेश कुमार पुत्र स्व. श्री पूरणमल, उम्र 37 वर्ष निवासी प्लाट नं0 10, बोद्धविहार कॉलोनी, कचौलिया रोड़, चौमू, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपी श्री लोकेश कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री पूरणमल सोनी , उम्र 37 वर्ष निवासी प्लाट नं0 10, बोद्धविहार कॉलोनी, कचौलिया रोड़, चौमू, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(**नीरज भारद्वाज**)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लोकेश कुमार सोनी पुत्र श्री पूरणमल सोनी, कनिष्ठ सहायक, प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 477/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 4070-73 दिनांक 16.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

16.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।